

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.18(54)नविवि / DCR / 2017

जयपुर, दिनांक : **20 DEC 2017**

आदेश

डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का परीक्षण कर अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, | अध्यक्ष |
| जयपुर। | |
| 2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य सचिव |
| 3. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), जयपुर। | सदस्य |
| 4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, | सदस्य |
| जयपुर। | |
| 5. एडवायजर (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर। | सदस्य |

उक्त समिति 15 दिवस की अवधि में डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन का फाईनल प्रारूप राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
6. ~~वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।~~
7. रक्षित पत्रावली।

() 20/12/2017
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम